

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

भोपाल, शुकुवार, दिनांक 23 फरवरी 2018—फाल्गुन 4, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2018

एफ. 37-4-2017-बीस-3.—मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2018) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा 22 फरवरी 2018 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

No. F-37 4-2017-XX-3.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Niji Vidhyalalya (Fees Tatha Sambandhit Vishyon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 (No. 6 of 2018), the State Government, hereby, appoints 22nd February, 2018 as the date on which the said act shall come into force.

एफ. 37-4-2017-बीस-3.—मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2018) की धारा 18 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार, एतद्वारा प्रदेश के अन्तर्गत संचालित समस्त निजी विद्यालयों के प्रबंधन पर 2018 में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस, पूर्ववर्ती वर्ष में प्रभारित फीस के 10 प्रतिशत के भीतर रखने का प्रतिबंध अधिरोपित करती है.

2. उक्त अधिनियम की धारा 9, 10, 11 और 12 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के उल्लंघन पर लागू होंगे.

No. F-37 4-2017-XX-3.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Niji Vidhyalalya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 (No. 6 of 2018), the State Government, hereby, imposes the restriction on private school management for keeping the fee for academic year beginning in 2018, within 10 percent of the fee charged in the preceding year.

The provisions of Section 9, 10, 11 and 12 of the said Adhiniyam shall mutatis mutandis apply to violation of sub-section (1) of Section 18.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. द्विवेदी, उपसचिव.